न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र क्र.

सन 2013 अपील A-4110-III/13

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 18-11-13 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. छोटेलाल गुप्ता पुत्र सल्ले गुप्ता
निवासीगण हटवारा मोहल्ला छतरपुर म.प्र.

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल
निवासी सतना जिला सतना (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन

..... प्रत्यर्थीगण

मुकेश भार्गव
18-11-13 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्र.कं. 08 बी–121 /13–14 में पारित आदेश दिनांक 05.11.13 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के अधीन प्रथम अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण सादर निम्नलिखित विनय पत्र प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि, न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष आवेदिका कं. 1 द्वारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कीगई है, उक्त अपील प्र.कं. 160/ अपील/ अ6अ/11–12 श्रीमती सीमा अग्रवाल बनाम छोटेलाल गुप्ता व अन्य के नाम से विचाराधीन है था दिनांक 19.11.13 नियत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील प्रकरण कमांक : 4110 /III/2013 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.4.2014	यह अपील आयुक्त, सागर संभाग,सागर व्दारा प्रकरण कमांक 08 बी 121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 5–11–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने बताया कि अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष सहायक बंदोवस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील की गई । दिनांक 19–11–13 सुनवाई की तिथि नियत रही। इस प्रकरण में अपर कलेक्टर से न्याय मिलने की उम्मीद न होने तथा अनावेदिका के पिता से अपर कलेक्टर के घनिष्ट संबंध होने के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग से प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने की मांग की गई थी किन्तु आयुक्त व्दारा प्रकरण की वास्तविक स्थिति जाने बिना ही सरसरे तौर पर आदेश दिनांक 5–11–13 पारित कर अपर कलेक्टर न्यायालय से प्रकरण अन्य न्यायालय में न्यायदान हेतु अंतरित न करने में भूल की है इसलिये अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर आयुक्त एंव अपर कलेक्टर का प्रकरण मॅगाया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि	

[signature]

राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 3125 एंव 3126 दो/12 में पारित आदेश दिनांक 22–5–13 के वाद माननीय उच्च न्यायालय से रिट याचिका कमांक 10677/13 छोटेलाल विरूद्व श्रीमती सीमा अग्रवाल मे दिये गये आदेश दिनांक 3–9–13 के अनुसार न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर को निर्देश हैं कि वह प्रकरण में गुणदोषों के आधार पर निराकरण करेंगे। जब माननीय उच्च न्यायालय से उक्तानुसार निर्देश अपर कलेक्टर को दिये गये हैं, तब आयुक्त अथवा अन्य वरिष्ठ न्यायालय व्दारा अपर कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में अंतरित करने हेतु आदेश पारित करने के लिये सक्षम नहीं है यदि अपीलांट माननीय उच्च न्यायालय से रिट याचिका कमांक 10677/13 छोटेलाल विरूद्व श्रीमती सीमा अग्रवाल मे दिये गये आदेश दिनांक 3–9–13 से दुखी है, उसे वरिष्ठ न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त है।

4/ वैसे भी आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 5–11–13 से अपर कलेक्टर छतरपुर को हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत एंव सुसंगत दस्तावजों एंव नियमों के अंतर्गत गुणदोष पर प्रकरण का अंतिम निराकरण करने के निर्देश दिये हैं जिसके कारण आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 5–11–13 में किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है। अतएव अपील सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य